प्रेरणा स्रोत सम्मान प्रदान करने के लिए योजना/ दिशा–निर्देश

ऐसे बहुत से लोग और संगठन हैं जो अपने सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में अपने–अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते आ रहे है और लोक हितैषी कार्यो में भी अपना योगदान दे रहे हैं ऐसे लोग न केवल अपने प्रतिष्ठानों की बल्कि पूरी मानवता की शोभा बढाते हैं। वे दूसरों के लिए महान प्रेरणा का **स्रोत** और आदर्श होते है ।

यह सरकार और समाज का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों के कार्यों की प्रशंसा की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए ।

सम्मान को धन एवं कीमती उपहारों से नहीं आंका जा सकता । प्रशंसा के चन्द शब्द या सम्मान का छोटा सा प्रतीक भी ऐसे लोगों को जीवन में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है ।

उपरोक्त के मद्देनजर सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 से ”प्रेरणा स्रोत सम्मान“ के नाम से एक पुरस्कार आरम्भ किया गया है । जिसके अनतर्गत ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने जीवन के किसी भी क्षेत्र में न केवल उत्कृष्ट कार्य किया हो, बल्कि परोपकारी कार्यों में भी अपना योगदान दिया हो ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी काम करने की तीव्र इच्छा व उत्साह से प्रेरित होती रहें ।

2. पुरस्कार का स्वरूपः–

वर्ष में अधिक से अधिक तीन व्यक्तिगत व एक गैर सरकारी संस्थां/संगठन को पुरस्कार दिए जाएंगे ।

पुरस्कृत व्यक्ति को निम्न प्रकार से सम्मानित किया जाएगा

(I) हिमाचली शॉल और टोपी ।

(II) 51,000/– रूपये का नगद ईनाम ।

(III) प्रशंसा पत्र ।

पुरस्कृत गैर–सरकारी संस्था/संगठन को निम्न रूप से सम्मानित किया जाएगाः–

(I) 2,50,000/– रूपये का नगद ईनाम ।

(II) प्रशंसा पत्र

(III) संस्था के प्रतिनिधि को हिमाचली शॉल व टोपी

3 <u>पात्रताः</u>

(I) काई भी व्यक्ति या संगठन जिसमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं,जिसने सार्वजनिक सेवा, सामाज सेवा, विज्ञान एंव यान्त्रिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और उद्योग, पर्यटन, कला एंव संस्कृति तथा खेल, इत्यादि किसी भी क्षेत्र में अति विशिष्ट कार्य किया हो, तथा लोक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, इस पुरस्कार का पात्र होगा ।

(II) कोई भी व्यक्ति या संगठन जिसमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं इस पुरस्कार के तभी पात्र होगें जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगो की भलाई के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो ।

(।।।) कोई भी व्यक्ति या संगठन जिसमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, जिसने एक बार पुरस्कार प्राप्त कर लिया हो, पश्चातवर्ती वर्षों में इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा ।

4 **प्रविष्टि भेजने की प्रकियाः**

पुरस्कार के लिए व्यक्तिगत प्रविष्टियां अनुबन्ध– । में दिये गए प्रपत्र पर तथा संगठन के लिए अनुबन्ध–।। में दिए गए प्रपत्र पर सीधे सम्बन्धित उपायुक्त/विभागाध्यक्षों को भेजी जाएंगी जो उन्हें अपनी संस्तुतियों के साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अग्रेषित करेंगे । उपायुक्त एवं विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर भी उन व्यक्तियों एवं संगठनों की अनुशंसा/सिफारिश सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को भेज सकते हैं जिन्हें वे इस पुरस्कार के लिए उपयुक्त समझतें हैं । सामान्य प्रशासन विभाग में प्रविष्टियॉ प्राप्त करने की अन्तिम तारीख प्रतिवर्ष **31 दिसम्बर** रहेगी।

5 **चयन की प्रकियाः**

उपायुक्तों/विभागाध्यक्षों से प्राप्त संस्तुतियों का मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा । इस स्क्रीनिंग कमेटी के निम्नलिखित अन्य सदस्य होगें :–

1. प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री — सदस्य
2. प्रधान सचिव(वित्त) — सदस्य
3. सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव — विशेष अतिथि
4. एक विशिष्ट नागरिक/ गैर– सरकारी — सदस्य

सेवा निवृत प्रशासनिक अधिकारी

5. सचिव (सामान्य प्रशासन) सदस्य सचिव

यदि आवश्यक हुआ तो स्क्रीनिंग कमेटी में किसी भी विशेषज्ञ को सहयोजित करने का सरकार को अधिकार होगा । स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा ।

6. <u>पुरस्कार की घोषणा एंव वितरणः</u>

(।) पुरस्कार की जानकारी समस्त पुरस्कृतों को पत्र/समाचार पत्रों और इलैक्ट्रौनिक मीडिया/ दूरभाष के माध्यम से दी जाएगी।

(।।) पुरस्कार प्रत्येक वर्ष माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्धारा हिमाचल दिवस समारोह (15 अप्रैल) में वितरित किये जायेगें ।

(।।।)पुरस्कृत विभूतियों को राज्य अतिथि माना जाएगा ।